


आदेश पत्रक
(वेधे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक ता० से तक

जिला-सिमडेगा सं० सन् 2000

केस का प्रकार अनुमति वाद सं० 10 / 20१०-२1

धारा 48 के अन्तर्गत

क्र. संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बाद तारीख सहित										
<p>18/7/20</p>	<p align="center">2</p> <p>आवेदक <u>श्री विपिन किशोर</u> पिता/पति <u>स्व. इजनेस किशोर</u> ग्राम <u>गोतरा-ठाकुखोली</u> थाना <u>सिमडेगा</u> जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित विवरण की भूमि को प्रस्तावित क्रेता <u>श्री. नरेश रजनी कुलु</u> पिता/पति <u>श्री. किशोर कुलु</u> ग्राम <u>रिपजरी</u> थाना <u>सिमडेगा</u> जिला-सिमडेगा, को छोटानागपुर काररकारी अधिनियम, 1908 की धारा-48 के अन्तर्गत <u>द्वि-पक्षी</u> हेतु अनुमति के निर्मित आवेदन पत्र अर्पित किया है। क्रेता एवं विक्रेता का प्रतिशपथ पत्र के साथ अधिवक्ता की नियुक्ति पत्र भी जमा की गई है।</p> <p align="center">भूमि का विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मीजा</th> <th>धाना/धाना न०</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>गोतरा</td> <td><u>सिमडेगा</u> 80</td> <td>120</td> <td>3382</td> <td>0.08 ए०</td> </tr> </tbody> </table> <p>कुल आवेदित रकबा (शब्दों में) <u>आठ ससमील</u> मात्र। आम इरतहार निर्गत करें। साथ ही अंचलाधिकारी, <u>सिमडेगा</u> से विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>05/8/20</u> को रखें।</p> <p align="right">  भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा। </p>	मीजा	धाना/धाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	गोतरा	<u>सिमडेगा</u> 80	120	3382	0.08 ए०	<p align="center">3</p>
मीजा	धाना/धाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा								
गोतरा	<u>सिमडेगा</u> 80	120	3382	0.08 ए०								

208 21

अभिलेख उपस्थापित। नोटिश की तामिला प्रति प्राप्त। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 20.10.21 को उपस्थापित करें।

L. R. D. Singh

20.10.21

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। विक्रेता की ओर से स्वयं आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 16.11.21 को उपस्थापित करें।

L. R. D. Singh

16.11.21

अभिलेख उपस्थापित। नोटिश की तामिला प्रति प्राप्त। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। आवेदक/विक्रेता की ओर से स्वयं आवेदक/विक्रेता या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं किया गया है। इस वाद में प्रतित होता है कि इसमें विक्रेता को किसी प्रकार कोई अभिरुची नहीं है साथ ही अंचल अधिकारी के द्वारा भी अभी तक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस वाद में काफी लम्बा समय व्यतित हो गया है एवं वाद की कारवाई को और लम्बित रखना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कारवाई समाप्त किया जाता है। यदि आवेदक चाहें तो पुनः आवेदन कर सकते हैं।

L. R. D. Singh
Simolga